राज्य सभा

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं.56432-56439]   **बुधवार**, 8 **मार्च**, 2017

सं.56432   *समिति समन्वय अनुभाग*

राज्य सभा की सामान्य प्रयोजन समिति का पुनर्गठन

राज्य सभा के सभापति द्वारा राज्य सभा की सामान्य प्रयोजन समिति को 8 मार्च, 2017 से निम्नानुसार पुनर्गठित किया गया हैः-

1. प्रो. पी. जे. कुरियन
2. श्री अरुण जेटली
3. श्री गुलाम नबी आज़ाद
4. डा. सत्यनारायण जटिया
5. श्री तिरुची शिवा
6. श्री सुखेन्दु शेखर राय
7. श्री टी. के. रंगराजन
8. श्री भुवनेश्वर कालिता
9. श्री बसावाराज पाटिल
10. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी
11. श्री प्रभात झा
12. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा
13. डा. सी. पी. ठाकुर
14. श्री ओम प्रकाश माथुर
15. श्री भूपेन्द्र यादव
16. प्रो. राम गोपाल यादव

17. श्री पी. चिदम्बरम
18. श्री शरद यादव
19. श्री आनन्द शर्मा
20. श्रीमती रेणुका चौधरी
21. श्री मुकुल राय
22. डा. कर्ण सिंह
23. श्री ए. नवनीतकृष्णन
24. श्री देरेक ओब्राईन
25. श्री सीताराम येचुरी
26. श्री दिलीप कुमार तिर्की
27. श्री देवेंदर गौड टी.
28. श्रीमती वंदना चव्हाण
29. सरदार सुखदेव सिंह ढिंडसा

सं.56433 *विधेयक कार्यालय*

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, संसद सदस्य द्वारा शिक्षा ऋण विधेयक, 2016

(**राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में**)

(वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा राज्य सभा के महासचिव को प्रेषित अ.शा.सं.06/08/2016-सीपी/आईएफ-II, दिनांक 27 फरवरी, 2017)

"राष्ट्रपति ने डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा) द्वारा प्रस्तावित शिक्षा ऋण विधेयक, 2016 की विषय-वस्तु से अवगत कराए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 117 के खण्ड(3) के अधीन राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक पर विचार किए जाने की सिफारिश की है।"

सं.56434 *युगपत् भाषान्तरण सेवा*

ध्वनि व्यवस्था में व्यवधान को दूर करना

यह देखा गया है कि कुछ माननीय सदस्य अपने स्थान से उठते समय अपने इयरफोन के वाल्यूम नॉब को बन्द नहीं करते हैं जिसके कारण सभा की ध्वनि व्यवस्था में व्यवधान आ जाता है। अतः माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि जब वे अपने स्थान से उठें तो नॉब को बाईं ओर घुमा दें।

सं.56435 *युगपत् भाषान्तरण सेवा*

संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज कुछ भाषाओं में दिये गये भाषणों के युगपत् भाषान्तरण की व्यवस्था

सभा की समूची कार्यवाही के हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में भाषान्तरण की व्यवस्था के अतिरिक्त निम्नलिखित नौ भाषाओं में दिए गए भाषणों के, नीचे दी गई प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में युगपत् भाषान्तरण की व्यवस्था है :-

1. बांग्ला
2. गुजराती
3. कन्नड़
4. मलयालम
5. उड़िया
6. पंजाबी
7. तमिल
8. तेलुगु
9. उर्दू

प्रक्रिया-

(1) वाद-विवाद के दौरान किए गए भाषणों का उपर्युक्त भाषाओं से अंग्रेजी तथा हिन्दी में भाषान्तरण किया जायेगा।

(2) इन भाषाओं का अंग्रेजी और हिन्दी में भाषान्तरण, प्रश्न-काल के तुरन्त पहले जब विविध मामलों जो कार्यावली में दर्ज नहीं होते, उपलब्ध नहीं होगा, और न यह नियमित वाद-विवाद के मध्य की गई टिप्पणियों, कथनों अथवा अन्तर्बाधाओं के लिए उपलब्ध होगा;

(3) जो सदस्य उपर्युक्त भाषाओं में से किसी भाषा में भाषण देना चाहते हैं वे कृपया इस बारे में सभा पटल पर अधिकारी को कम से कम एक घंटा पहले सूचना दें तथा यह भी बतायें कि वे किस भाषा में भाषण देना चाहते हैं;

(4) हिन्दी भाषान्तरण चैनल 2 और 5 से प्रसारित किया जाएगा और अंग्रेजी चैनल 3 और 6 से प्रसारित किया जाएगा। चैनल 1 और 4 सभा में बोली जाने वाली भाषा के लिए निर्धारित है।

सं.56436 *युगपत् भाषान्तरण सेवा*

प्रश्न -काल के दौरान हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का प्रयोग

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि प्रश्न-काल में हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :-

कोई ऐसा सदस्य जिसके नाम से मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में कोई प्रश्न सम्मिलित हो और जो संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित (हिन्दी तथा अंग्रेजी के अलावा) किसी ऐसी भाषा में पूरक प्रश्न की पूर्व सूचना दें जिसके युगपत् भाषान्तरण की व्यवस्था पहले से विद्यमान है तो वह प्रश्न-काल में निम्नलिखित शर्तों के अधीन उस भाषा में पूरक प्रश्न पूछ सकेगाः-

(i) इस सुविधा का उपयोग उन्हीं सदस्यों द्वारा किया जा सकेगा जिनके नाम से वह प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में दर्ज हो;

(ii) संबंधित सदस्य इस बारे में लिखित में पूर्व सूचना देंगे जो मौखिक उत्तर के लिए प्रश्न की नियत तारीख से एक कार्य दिवस पहले मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे तक दी जा सकेगी;

(iii) यह सुविधा उन सदस्यों के अलावा जिनके नाम से यह प्रश्न मौखिक उत्तर के लिए प्रश्नों की सूची में दर्ज हैं, अन्य सदस्यों को उपलब्ध नहीं होगी;

(iv) वाद-विवाद की छपी हुई प्रतियों (मूल पाठ) में हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में पूछे गये पूरक प्रश्न का अंग्रेजी पाठ ही शामिल किया जायेगा जैसा कि इस समय विधेयकों, संकल्पों आदि पर चर्चा के दौरान भाग लेते हुए हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषा में सदस्यों द्वारा दिए गए भाषणों के बारे में किया जाता है।

सं.56437 *पुस्तकालय एवं संदर्भ एकक, लार्डिस*

संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार में अभिलेखीय/ऐतिहासिक सामग्री का संग्रह

लोक सभा सचिवालय के संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार में भारत में संसदीय संस्थाओं तथा संविधान के उद्गम, विकास और कार्यकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेखों, ऐतिहासिक दस्तावेजों तथा आलेखों का अर्जन, भंडारण और परिरक्षण किया जाता है। यह महसूस किया गया है कि इन वस्तुओं, जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर का हिस्सा हैं, का संग्रहण, वैज्ञानिक रखरखाव और परिरक्षण किया जाए ताकि भावी पीढ़ी इनका लाभ उठा सके।

सदस्यों से अनुरोध है कि उनके पास *उपलब्ध सामग्री यथा, निजी पत्राचार, टिप्पण, आलेख, अभिलेख, पांडुलिपि, भाषण, संस्मरण, डायरी,*

अवशेष, कलाकृतियां, स्मृति चिह्न, वैयक्तिक चीजें और संकलन, चित्र, फोटो या सांसद और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनके जीवन तथा कार्यकलापों से संबंधित अभिलेखीय/ऐतिहासिक महत्व की किसी अन्य सामग्री के स्थायी परिरक्षण तथा प्रदर्शन हेतु उन्हें **संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार**, **एफ.बी**. 094, **संसद ग्रन्थालय भवन** (**दूरभाष संख्या** 23034131, 23034017, **फैक्स सं**. 23035326) में जमा कराएं। इन सामग्रियों से संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार समृद्ध होगा और यह शोध कार्य के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आप चाहें तो प्रदान की गई सामग्री, आवश्यक प्रतिलिपियां बनाने के बाद लौटा दी जाएगी। सामग्री की छंटाई तथा इन्हें सूचीबद्ध करने में किसी भी प्रकार की सचिवालयी सहायता लोक सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

सदस्य कृपया इसमें सहयोग दें।

सं.56438 *पुस्तकालय एवं संदर्भ एकक, लार्डिस*

संसद संग्रहालय

हाई-टेक संसद संग्रहालय भारत की लोकतांत्रिक धरोहर की अविच्छिन्न परम्परा को दर्शाता है। यह कथा वृत्तांत ध्वनि-प्रकाश-वीडियो-सिंक्रोनाइजेशन, लार्ज स्क्रीन इंटरएक्टिव कम्प्यूटर मल्टीमीडिया और मल्टीस्क्रीन पैनोरैमिक प्रोजेक्शन्स सहित इमरसिव विजुलाइजेशन वर्चुअल रियलिटी और एनिमैट्रोनिक्स प्रणाली की सहायता से कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया जाता है। संग्रहालय में एक संसाधन केन्द्र है जहां पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत पाठ्य सामग्री और दृश्य सूचना संग्रह उपलब्ध हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने परिजनों के साथ संग्रहालय देखने आएं। संग्रहालय सत्रावधि के दौरान सोमवार से शनिवार पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 5 बजे तक खुला रहता है और यह संसद ग्रंथालय भवन में हॉल जी-118 (भूतल) में स्थित है। सदस्य अतिरिक्त सहायता के लिए दूरभाष सं. 23035318, 23035325 और 23035326 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सं.56439 *प्रश्न शाखा*

प्रश्नों की सूचनाओं के बैलट का परिणाम

राज्य सभा की 24 मार्च, 2017 को होने वाली बैठक के लिए 8 मार्च, 2017 को म.प. 3.00 बजे तक प्राप्त तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं के संबंध में 8 मार्च, 2017 को अपर सचिव (क्यू) की उपस्थिति में बैलट कराया गया।

सदस्यों की सूचना हेतु तारांकित प्रश्नों के बैलट के परिणाम को सूचना कार्यालय में रखा गया है और बाहरी लॉबी में सूचना पट्ट पर भी लगाया गया है।

शमशेर के. शरीफ,
महासचिव।